# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पत्रांकः–506/ 33-1 ,दिनांक, महोबा, अगस्त 03 ,2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
जल निगम ग्रामीण,
महोबा।

विषयः– उ0प्र0 जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सलईया–नाथूपुरा, लहचुरा–काशीपुरा, धवर्रा–सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला–महोबा में प्रभावित 12.4869 हे0 संरक्षित एवं 1.9665 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 14.4534 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/08/169/2022/एफ0सी0/299, दिनांक 27.07.2022.
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–428/11–सी–FP/UP/water/150368/2021, दिनांक 03.08.2022.

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी एवं आपको पृष्ठांकित है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 की धारा–2 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी, जिसमें विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा 09 बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आप 09 बिन्दुओं की सूचना शीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

**<u>संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।</u>**

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।

**पृष्ठांकन संख्या 506 /अ/सम् दिनांक।**

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झाँसी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ0प्र0, बाँदा को सूचनार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।

o/c